

राज्य विभाग

विज्ञप्ति

संख्या २२७/२००६ (२७/११/२००६-६३)

दिनांक १४.२.०६ तम

धु कि इसके साथ संलग्न अनुसूची में समाविष्ट वन भूमि तथा बंजर भूमि में अधिनियम १३ के अन्तर्गत वन क्षेत्रों के अधिकारों के प्रकार तथा सीमा को जीव और उसका अभिलेखन राजस्वगत वन अधिनियम (१९६३) के अधिनियम संख्या १३) की धारा (२९) की उपधारा (३) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या दिनांक के अनुसार में किया जा चुका है।

अतः सब उपर्युक्त अधिनियम की धारा (२९) की उपधारा (१) के द्वारा प्रदत्त परिभाषों के अन्तर्गत में राज्य सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि कथित अधिनियम के अध्याय ४ के अनुसूचि पुराना वन भूमि और बंजर भूमि पर लागू होंगे जो कि एतदनुसार रक्षित वन कहलाया जाएगा।

राज्यपाल की आज्ञा से

S.S.
वि. म. म. म.
शासन सचिव

अनुसूची

जिला	तहसील	पट्टी या वनखण्ड	मोबा	क्षेत्रफल वनखण्ड या मोबा एकाड़ों में	विशेष विवरण
सवाई	जयपुरी	जयपुरी	हरापुरा	३३६-६२	
जयपुर			जयपुर	१८१-२५	
			जयपुर	२५-२४	
			जयपुरी	१८-८१	
			मोबा	२०५-६३	
			जयपुर	८६०-४४	
			जयपुरी	६६-४६	
			जयपुर	२८-३४	
			जयपुर	३५४-१९	
			जयपुर	१८-३४	
			जयपुर	२११०-४३	